

(Authorative English text of this Department notification No:Home-C (A)-3-3/2007dated 07-07-2007 as required under clause 3 of the Article 348 of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh
Department of Home.

No.Home-C(A)3-3/2007 Dated Shimla-2,the

7th July, 2007.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 8 of the Himachal Pradesh Freedom of Religion Act, 2006 (Act No.5 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following Rules for carrying out the provisions of the Act, namely:-

- | | | |
|--------------------------|----|---|
| Short title | 1 | (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Freedom of Religion Rules, 2007. |
| | | (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette. |
| Definitions | 2. | (1) In these rules, unless the context otherwise requires:-
(a) 'Act' means the Himachal Pradesh Freedom of Religion Act, 2006 (Act No.5 of 2007);
(b) 'Form' means form appended to these rules;
(c) 'Government' means the Government of Himachal Pradesh; and
(d) 'State' means the State of Himachal Pradesh.
(2) All other words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Act. |
| Notice before conversion | 3. | (1) Any person domiciled in the State, intending to convert his religion, shall give a notice to the District Magistrate of the District in which he is permanently resident, prior to such conversion, in Form- A.
(2) The District Magistrate shall cause all notices received under sub-rule (1) of rule 3 to be entered in a Register of Notices and Complaints of conversion in Form-B, and may within fifteen days from the receipt of said notice, get the matter enquired into by such agency as he may deem fit and record his findings as regards the particulars of notice given: |

Provided that the person giving notice and any other person likely to be prejudicially affected shall be given adequate opportunity to associate himself with any such enquiry.

Inquiries in
other cases

4. Where on the basis of any complaint or any information laid before him, the District Magistrate is of the opinion, for reasons to be recorded,-

(a) that force or inducement have been used or is likely to be used in any conversion within the local limits of his jurisdiction; or

(b) that a conversion has taken place without notice in contravention of the provisions of this Act, he may cause an inquiry to be made in the matter and proceed in the manner as provided in Rule 3.

Every such complaint so received shall be entered in the Register of Notices and Complaints of conversion in Form-B.

Registration
and
Investigation
of
Case.

5. If after enquiry under rule 3 or rule 4, as the case may be, the District Magistrate records a finding that a conversion has taken place or is likely to take place through the use of force or inducement or without the requisite notice, he shall enter the particulars of the case in the Register of Forced Conversion in Form-C and refer the case alongwith all material adduced during the course of the enquiry to the Police Station in which the person is resident or where the conversion is intended or done for registration of a case and its investigation.

Sanction for
Prosecution.

6. If after investigating the matter, it appears that an offence under sub-section(2) of section 4 or under section 5 has been committed, the Investigating Officer shall place all relevant material before the authority empowered under section 7 to grant prosecution sanction and such sanction shall be granted or refused within a period of 7 days, giving reasons in writing.

Submission
of
report to the
Government.

7. The District Magistrate of each district in the State shall on the 10th of each month send to the State Government a report of intimations received by him in this respect during the preceeding month in Forms D & E, as the case may be.

By order

Principal Secretary (Home) to the
Government of Himachal Pradesh.

No: Home-C-(A)-3-3/2007

Dated: 07-07-2007

Copy to following for compliance, necessary follow up action and information;

1. The Secretary Vidhan Sabha, Himachal Pradesh, Shimla-3
2. The Director-General of Police Himachal Pradesh, Shimla-2.
3. The Director (Prosecution), Himachal Pradesh, Shimla-9 .
4. All the District Magistrates in Himachal Pradesh.
5. All the Superintends of Police, in Himachal Pradesh.
6. Controller of Printing & Stationery, H.P. Shimla-5, for publication in the H.P.Rajpatra (Extra Ordinary).
7. Guard File.

Under Secretary (Home) to the
Govt. of Himachal Pradesh

FORM- A
(see rule3(1))

NOTICE BEFORE CONVERSION FROM ONE RELIGIOUS FAITH TO
ANOTHER

TO

The District Magistrate,
District_____

Sir,

I,_____S/o/W/o/D/o_____aged_____
_____R/O_____ belonging to Scheduled Caste
or Scheduled Tribe or General category intend to convert from
_____ religious faith to_____religious faith
and do hereby declare that the said conversion is on my own will and
without use of any force or inducement. My date of birth is _____
and I am not a minor.

Place:

Date:

Signature of the person
intending to convert religion

**FORM-B (For cases under Sections 4(2) and (5)
{see rule3(2)}**

REGISTER OF NOTICES AND COMPLAINTS OF CONVERSION

Date of receipt of notice or complaint	Name and address of the person giving notice or making complaint	Father's name	Name and full address of the person converting	Age.	Sex	Occupation and monthly income of the person converted	Whether married or un-married	Name of persons, if any, depend-ent upon the person converted	If a minor, name and full address of the guardian, if any	Whether belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe and if so, particulars of such Caste or Tribe.	Whether inquiry conducted or not, and if conducted, findings of the inquiry in brief.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

FORM-C (For cases under section 5)
(see rule 5)

REGISTER OF FORCED CONVERSION

Date of receipt of notices or complaint	Name and address of the person giving notice or making complaint	Father's name	Name and full address of the person converting	Age.	Sex	Occupation and monthly income of the person converted	Whether married or un-married	Name of persons, if any, depend-ent upon the person converted	If a minor, name and full address of the guardian, if any	Whether below Scheduled Caste, Scheduled Tribe or a part of such or T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

FORM-D
(Cases under section 5)
(see rule7)

No. of cases pending inquiry at the end of previous month.	No. of notices/ complaints received during month.	Total No. of pending inquiries	No. of inquiries disposed off during month		No. of cases pending at the end of the month.
			Filed	Sent for registration of case	
1.	2.	3.	4(a).	4(b).	5.

FORM-E
{Cases under section 4(2)}
(see rule7)

No. of cases pending enquiry at the end of previous month	No. of complaints received during month	Total No. of pending inquiries	No. of inquiries disposed off during month		No. of cases pending at the end of the month
			Filed	Sent for registration of case	
1.	2.	3.	4(a).	4(b).	5.

हिमाचल प्रदेश सरकार
गृह विभाग

संख्या: गृह-सी (ए) 3-3/2007 तरीख शिमला-2 07जुलाई, 2007.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2006 (2007 का 5) की धारा-8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

संक्षिप्त नाम:- 1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता नियम, 2007 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएँ:- 2. (1) इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,:-

(क) “अधिनियम” से हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2006 (2007 का 5) अभिप्रेत है;

(ख) “प्ररूप” से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) “सरकार” से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और

(घ) “राज्य” से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है।

(2) उन समस्त शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

संपरिवर्तन से पूर्व सूचना 3. (1) राज्य में अधिवसित अपना धर्म संपरिवर्तित करने का आशय रखने वाला कोई व्यक्ति, ऐसे संपरिवर्तन से पूर्व, प्ररूप-क में, उस जिला के जिला मजिस्ट्रेट को जहां वह स्थाई रूप से निवास करता है, सूचना (नोटिस) देगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट नियम-3 के उप-नियम (1) के अधीन प्राप्त समस्त सूचनाओं को प्ररूप-ख, में संपरिवर्तन की सूचनाओं (नोटिसों) और शिकायतों के रजिस्टर में दर्ज करवायेगा, और उक्त सूचना की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर, ऐसे अभिकरण द्वारा, जैसा वह उचित समझे, मामले की जाँच करवा सकेगा तथा दी गई सूचना की विशिष्टियों की बाबत अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा।

परन्तु नोटिस देने वाले व्यक्ति तथा किसी अन्य व्यक्ति, जिस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, को ऐसी जाँच में उसके सहभागी होने के लिए प्रेरित अवसर दिया जाएगा।

अन्य
मामलो में
जाँच-

4.

जहाँ जिला मजिस्ट्रेट की, किसी शिकायत या उसके समक्ष अधिकथित किसी सूचना के आधार पर, कारणों को अभिलिखित कर यह राय है कि:-

(क) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, किसी संपरिवर्तन में, बल प्रयोग या उत्प्रेरण हुआ है, इसकी सम्भापना हो; या

मामले का
रजिस्ट्रीकरण
और
अन्वेषण

5.

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में बिना सूचना के संपरिवर्तन हो चुका है, तो वह, मामले में जाँच करवा सकेगा और नियमों में यथा उपबंधित रीति में कार्यवाही कर सकेगा। इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक शिकायत को प्ररूप-ख में संपरिवर्तन की सूचनाओं और शिकायतों के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

यदि, जिला मजिस्ट्रेट, यथास्थिति, नियम-3 या नियम-4 के अधीन जाँच के पश्चात्, कोई निष्कर्ष अभिलिखित करता है कि बल के प्रयोग द्वारा या उत्प्रेरणा द्वारा या अपेक्षित सूचना के बिना संपरिवर्तन हो चुका है, तो वह, प्ररूप-ग में बलपूर्वक बलात संपरिवर्तन के रजिस्टर में मामले की विशिष्टियों को दर्ज करेगा तथा जाँच के दौरान प्रस्तुत किए गए समस्त तथ्यों (सामग्री) सहित मामले को, उस पुलिस थाने को, जिसके अधीन वह व्यक्ति निवास करता है या जहाँ पर संपरिवर्तन होना आशयित है या किया गया है, मामले के रजिस्ट्रीकरण और उसके अन्वेषण हेतु निर्दिष्ट करेगा।

अभियोजन
हेतू
मंजूरी-

6.

यदि मामले का अन्वेषण (जाँच) करने के पश्चात् यह पाया जाता है कि धारा-4 की उप-धारा (2) ;या धारा-5 के अधीन अपराध किया गया है, तो अन्वेषण (जाँच) अधिकारी, धारा-7 के अधीन सशक्त प्राधिकारी के समक्ष समस्त सुंसगत तथ्य (सामग्री) को अभियोजन मंजूरी प्रदान करने हेतु रखेगा और ऐसी मंजूरी, कारणों को अभिलिखित करते हुए 7दिन के भीतर स्वीकृत या अस्वीकृत की जाएगी।

सरकार
को
रिपोर्ट
प्रस्तुत
करना

7.

राज्य के प्रत्येक जिला का जिला मजिस्ट्रेट, यथास्थिति, इस बाबत उसके द्वारा पूर्ववर्ती मास के दौरान प्राप्त की गई सूचनाओं की रिपोर्ट प्ररूप-घ और ड, में प्रत्येक मास की 10 तारीख को राज्य सरकार को, भेजेगा।

आदेश द्वारा
प्रधान सचिव (गृह)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

...3....

पृष्ठांकनसंख्या:गृह-सी (ए) 3-3/2007 दिनांक:शिमला-2,07-07-2007
प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही व सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, हिमाचल प्रदेश विधानसभा, शिमला-3 ।
2. महानिदेशक, पुलिस, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 ।
3. निदेशक,(अभियोजन) हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 ।
4. समस्त जिला दण्डाधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक,हिमाचल प्रदेश ।
6. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन, हिमाचल प्रदेश, शिमला को हि0प्र0राजपत्र
(असाधारण) मे प्रकाशन करने हेतु ।
7. रक्षक नस्ति ।

अवर सचिव(गृह)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

,,,,,,,,,,,,,

प्ररूप-क
(नियम-3(1) देखें)

एक धार्मिक आस्था (धर्म) से दूसरे धार्मिक आस्था (धर्म) में संपरिवर्तन से पूर्व सूचना।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
जिला-----

महोदय,

मैं----- पुत्र/पत्नी/पुत्री-----
आयु-----निवासी ----- अनुसूचित जाति/ या
अनुसूचित जनजाति या सामान्य प्रवर्ग से सम्बन्धित ----- धार्मिक
आस्था (धर्म) से -----धार्मिक आस्था (धर्म) में संपरिवर्तन करने का
आशय रखता हूँ/रखती हूँ और एतद्द्वारा यह घोषणा काता हूँ / करती हूँ
कि उक्त संपरिवर्तन मेरी स्वेच्छा की (अपनी) इच्छा से है और किसी बल के
प्रयोग या उत्प्रेरणा के बिना है। मेरी जन्म तिथि ----- है और मैं
अवयस्क नहीं हूँ।

शिमला:
तारीख:

धर्म संपरिवर्तन करने का आशय
रखने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर।

प्ररूप-ख (धारा-4(2) और (5) के अधीन मामलों के {नियम3(2) देखें } संपरिवर्तन सूचनाओं (नोटिसों) और शिकायतों का रजिस्ट्रार										
सूचना (नोटिस) और शिकायत प्राप्त की तारीख	सूचना (नोटिस) देने वाले या शिकायत करने वाले व्यक्ति का नाम और पता ।	पिता का नाम ।	संपरिवर्तित न करने वाले व्यक्ति का नाम और पता ।	आयु	लिंग	संपरिवर्तित व्यक्ति का व्यवसाय और मासिक आय ।	विवाहित या अविवाहित ।	संपरिवर्तित व्यक्ति पर निर्भर व्यक्तियों के नाम यदि कोई है ।	यदि अवयस्क है, तो संरक्षक यदि कोई है का नाम और पूरा पता ।	क्या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित है, अथवा यदि तो, ऐ जाति जनजाति की विशिष्ट ।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**प्ररूप-ग (धारा- 5 के अधीन मामले हेतू)
(नियम-5 देखे)**

बलपूर्वक संपरिवर्तन का रजिस्टर

सूचनाओं (नांटेसों) और शिकायत प्राप्ति की तारीख	सूचना(नोटिस) देने वाले या शिकायत करने वाले व्यक्ति का नाम और पता ।	पिता का नाम ।	संपरिवर्तन करने वाले व्यक्ति का नाम व पता ।	आयु	लिंग	संपरिवर्तित व्यक्ति का व्यवसाय और मासिक आय ।	क्या विवाहित है या अविवाहित है ।	संपरिवर्तित व्यक्ति पर निर्भर व्यक्तियों के नाम यदि कोई है ।	यदि अवयस्क है,तो,संरक्षक , यदि कोई है, का नाम और पूरा पता ।	क्या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सम्बन्धित है, और यदि हाँ ऐसी जाति और जाति जाति विशिष्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1

प्ररूप-घ
(धारा-5 के अधीन मामले)
(नियम 7 देखें)

पूर्ववर्ती मास के अन्त तक जांच हेतू लम्बित मामलों की संख्या ।	मास के दौरान प्राप्त की गई सूचनाओं / शिकायतों की संख्या ।	लम्बित जांचों की कुल संख्या ।	मास के दौरान निपटायी जांचों की संख्या ।		मास के अन्त तक लम्बित मामलों की संख्या ।
			फाइल की गई	मामले को रजिस्ट्रीकरण हेतू भेजा गया ।	
1.	2.	3.	4(क).	4(ख).	5.

प्ररूप-ड
{ धारा 4 (2) के अधीन मामले }
(नियम 7 देखें)

पूर्ववर्ती मास के अन्त तक जांच हेतू लम्बित मामलों की संख्या ।	मास के दौरान प्राप्त की शिकायतों की संख्या ।	लम्बित जांचों की कुल संख्या	मास के दौरान निपटाई जांचों की संख्या ।		मास के अन्त तक लम्बित मामलों की संख्या ।
			फाइल की गई ।	मामले को रजिस्ट्रीकरण हेतू भेजा गया ।	
1.	2.	3.	4(क).	4(ख).	5.

Filename: Authorative English text of this Department notification No
Directory: C:\Documents and Settings\home c\My Documents
Template: C:\Documents and Settings\home c\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title: (Authorative English text of this Department notification
No:Home-C (A)-3-3/2007dated 07-07-2007 as required under clause 3 of the
Article 348 of the Constitution of India
Subject:
Author: home c
Keywords:
Comments:
Creation Date: 8/28/2007 2:25:00 PM
Change Number: 6
Last Saved On: 8/28/2007 3:05:00 PM
Last Saved By: home c
Total Editing Time: 38 Minutes
Last Printed On: 8/28/2007 3:21:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 14
Number of Words: 2,365 (approx.)
Number of Characters: 13,485 (approx.)